

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067

संचिका सं. CICOM/R/2018/00160

दिनांक 13.02.2018

सेवा में,

श्री मो० खालिद, पुत्र - मो० इस्माईल,

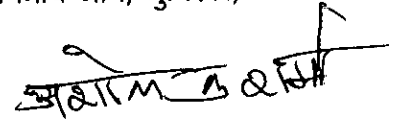
विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 31.01.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 09.02.2018 को डायराइज हुआ (डायरी सं. 109156) तथा दिनांक 12.02.2017 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के संदर्भ में वांछित बिंदुवार सूचना निम्नानुसार है:-

बिंदु सं. 1	केन्द्रीय सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की स्थिति आयोग की वेबसाइट www.cic.gov.in के Citizen Service कॉलम में उपलब्ध है, जहाँ से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी कितनी द्वितीय अपीलें पर सुनवाई हो चुकी है एवं कितनी अभी सुनवाई हेतु लंबित हैं ।
बिंदु सं. 2	द्वितीय अपीलों की सुनवाई हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ।
बिंदु सं. 3	केन्द्रीय सूचना आयोग के किसी आदेश से असहमत होने पर कहीं अपील की जाए, इस संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु अपीलकर्ता चाहे तो आगे की कार्यवाही हेतु अपने स्तर से विधिक सलाह ले सकते हैं ।
बिंदु सं. 4 एवं 5	आर.टी.आई. से संबंधित जानकारी हेतु सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) एवं सूचना अधिकार नियम, 2012 (RTI Rules, 2012) का अवलोकन कर सकते हैं जो कि पब्लिक डोमेन (इंटरनेट) में उपलब्ध है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।



(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690